फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अमरा पिता श्री मोहनजी गुर्जर नि. सीमाल ग्रा.पं.पनोतिया तहसील आमेट जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 05/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.04.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । सहायक लोक सूचना अधिकारी उप तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2023/34–36 दिनांक 16.02.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र की पालना में प्रार्थी की पुत्री केशर पिता श्री अमरा गुर्जर को दि. 07.02.2023 को धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी एवं पत्रांकः आरटीआई/2023/72 दिनांक 10.04.2023 अनुसार पत्रावली प्रक्रियाधीन होने से पत्रावली की संपूर्ण प्रतिलिपि नहीं दी गई। उक्त पत्रावली प्र.सं. 343/2022 दिनांक 22.03.2023 को निर्णित हो जाने से पत्रावली संबंधी चाही गई सूचना की प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठाकिंत की गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी उप तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उप तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमंद की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार आमेट तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी उप तहसीलदार सरदारगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर